UPKU100044642026

न्यायालय–सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, कसया, कुशीनगर।

पीठासीन अधिकारी–(शिरिष पटेल), (उ०प्र० न्यायिक सेवा)–UP03572

फौजदारी प्रकीर्ण वाद संख्या–237/2026

फैजुन निशा–बनाम–कमरूल आदि।

03.06.2026

पत्रावली आज आदेशार्थ पेश हुई। पुकार पर प्रार्थिनी–**फैजुन निशा** मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

प्रार्थिनी की ओर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उसके पति द्वारा एक TATA ACE (छोटी पिकप) पंजीयन सं० UP57T4235 उसके नाम से क्रय किया गया, जिसकी पंजीयन स्वामी प्रार्थिनी है तथा उसके पति उपरोक्त वाहन को भाड़ा पर चालने के लिए नाम कमरूल हक पुत्र करैश निवासी–गगलवा चैन पट्टी, थाना–पटहेरवा, जिला कुशीनगर को दे दिया। इसी बीच उसके पति रोजी रोजगार हेतु बाहर (विदेश) चले गये। कुछ दिन के बाद कमरूल हक उसके घर आये और कहे कि गाडी बिहार गोपालगंज के भोरे थाना द्वारा पकड़ ली गयी है। गाड़ी के सारे कागजात दे दीजिए व कुछ कागजात पर अंगूठा लगा दिया, वह उनकी बातों पर विश्वास कर गाड़ी के कागजात व कुछ कागजात पर अंगूठा निशान दे दिया और कमरूल हक ने कहा कि अब गाड़ी छूट जायेगी। कागजात लेकर चला गया। उसे गाड़ी के बारे में व कानून की कुछ जानकारी नही हैं, जब उसने कमरूल हक से यह बार–बार पूछा कि उसकी गाड़ी कहाँ है तथा आप के द्वारा गाड़ी का भाड़ा भी नहीं दिया जा रहा है तो उसके द्वारा बार–बार कहा जाता रहा कि गाड़ी अभी थाना में ही बंद है। जब उसने गाड़ी के कानून व छोड़ाने की जानकारी गाँव के लोगो से पता कि तब मालूम चला कि बिना गाड़ी मालिक के गये गाड़ी नहीं छूटती है। तब उसे ज्ञात हुआ कि कमरूल हक द्वारा कुछ गलत किया जा रहा है। इसी बीच उसे मालूम हुआ कि कमरूल हक ने उसकी गाड़ी किसी को फर्जी कागजात बनाकर बेच दिया है। जब उसने अपनी गाडी के बारे में दिनांक 04.03.2026 को उसके लड़के अलताफ राजा को लेकर कमरूल हक के घर गयी कि मेरी गाड़ी किसे बेचे हो बताओ तो उसने मॉ, बहन की गाली गुप्ता देते हुए उसे तथा उसके लड़के को धक्का देकर व मारने के लिए दौड़ा दिया। कमरूल हक ने मोहन गुप्ता पुत्र नथुनी गुप्ता निवासी करमैनी डीह तथा गवाहान अब्बास अली पुत्र शहीद, मु० हुसेन पुत्र निजामुद्दीन, इबरार अली पुत्र अब्बास अली, इब्राहिम उर्फ गुड्डू पुत्र अब्बास अली ने एक राय व गोलबन्द होकर उसकी गाड़ी का फर्जी बेचनामा बनवाकर उसकी गाड़ी को हड़प लिये है। अगर वह अपनी गाड़ी बेचती या मोहन गुप्ता द्वारा गाड़ी खरीदा जाता तो उसे ए०आर०टी०ओ० कुशीनगर के कार्यालय में जाकर ट्रांसफर हुआ रहता। आज तक गाड़ी का हस्तान्तरण नहीं होना भी एक जालसाजी का कार्य है। मोहन गुप्ता द्वारा एक फर्जी बेचनामा बनाया गया है उस पर दर्शित मु० 1,45,000/– एक लाख पैतालीस हजार रूपये ना ही उसे मिला है, ना वह उक्त बेचनामा को जानती, ना ही उस पर उसका अंगूठा है, अगर होगा भी तो कमरूल हक ने धोखा से लिया होगा। उसकी गाड़ी उपरोक्त मुल्जिमान कभी भी कोई दुरूपयोग कर सकते है तथा उसकी गाड़ी को तलब कर पुलिस को सुपुर्द किया जाना आवश्यक होगा। न्यायहित में उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में दोषी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने की याचना की गई है।

प्रार्थिनी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में सूची से पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर को प्रेषित मूल रजिस्ट्री रशीद मय शिकायती प्रार्थना पत्र व आधार कार्ड दाखिल दाखिल किये गये हैं।

सम्बन्धित थाना–पटहेरवा, जनपद–कुशीनगर से प्राप्त आख्यानुसार प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में कोई अभियोग पंजीकृत नही है।

प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुना व पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि उसके पति द्वारा एक TATA ACE (छोटी पिकप) पंजीयन सं० UP57T4235 उसके नाम से क्रय किया गया, जिसकी पंजीयन स्वामी प्रार्थिनी है तथा उसके पति उपरोक्त वाहन को भाड़ा पर चालने के लिए नाम कमरूल हक पुत्र करैश निवासी–गगलवा चैन पट्टी, थाना–पटहेरवा, जिला कुशीनगर को दे दिया। इसी बीच उसके पति रोजी रोजगार हेतु बाहर (विदेश) चले गये। कुछ दिन के बाद कमरूल हक उसके घर आये और कहे कि गाडी बिहार गोपालगंज के भोरे थाना द्वारा पकड़ ली गयी है। गाड़ी के सारे कागजात दे दीजिए व कुछ कागजात पर अंगूठा लगा दिया, वह उनकी बातों पर विश्वास कर गाड़ी के कागजात व कुछ कागजात पर अंगूठा निशान दे दिया और कमरूल हक ने कहा कि अब गाड़ी छूट जायेगी। कागजात लेकर चला गया। उसे गाड़ी के बारे में व कानून की कुछ जानकारी नही हैं, जब उसने कमरूल हक से यह बार–बार पूछा कि उसकी गाड़ी कहाँ है तथा आप के द्वारा गाड़ी का भाड़ा भी नहीं दिया जा रहा है तो उसके द्वारा बार–बार कहा जाता रहा कि गाड़ी अभी थाना में ही बंद है। जब उसने गाड़ी के कानून व छोड़ाने की जानकारी गाँव के लोगो से पता कि तब मालूम चला कि बिना गाड़ी मालिक के गये गाड़ी नहीं छूटती है। तब उसे ज्ञात हुआ कि कमरूल हक द्वारा कुछ

गलत किया जा रहा है। इसी बीच उसे मालूम हुआ कि कमरूल हक ने उसकी गाड़ी किसी को फर्जी कागजात बनाकर बेच दिया है। जब उसने अपनी गाडी के बारे में दिनांक 04.03.2026 को उसके लड़के अलताफ राजा को लेकर कमरूल हक के घर गयी कि मेरी गाड़ी किसे बेचे हो बताओ तो उसने मॉ, बहन की गाली गुप्ता देते हुए उसे तथा उसके लड़के को धक्का देकर व मारने के लिए दौड़ा दिया। कमरूल हक ने मोहन गुप्ता पुत्र नथुनी गुप्ता निवासी करमैनी डीह तथा गवाहान अब्बास अली पुत्र शहीद, मु० हुसेन पुत्र निजामुद्दीन, इबरार अली पुत्र अब्बास अली, इब्राहिम उर्फ गुड्डू पुत्र अब्बास अली ने एक राय व गोलबन्द होकर उसकी गाड़ी का फर्जी बेचनामा बनवाकर उसकी गाड़ी को हड़प लिये है। अगर वह अपनी गाड़ी बेचती या मोहन गुप्ता द्वारा गाड़ी खरीदा जाता तो उसे ए०आर०टी०ओ० कुशीनगर के कार्यालय में जाकर ट्रांसफर हुआ रहता। आज तक गाड़ी का हस्तान्तरण नहीं होना भी एक जालसाजी का कार्य है। मोहन गुप्ता द्वारा एक फर्जी बेचनामा बनाया गया है उस पर दर्शित मु० 1,45,000/– एक लाख पैतालीस हजार रूपये ना ही उसे मिला है, ना वह उक्त बेचनामा को जानती, ना ही उस पर उसका अंगूठा है, अगर होगा भी तो कमरूल हक ने धोखा से लिया होगा। उसकी गाड़ी उपरोक्त मुल्जिमान कभी भी कोई दुरूपयोग कर सकते है तथा उसकी गाड़ी को तलब कर पुलिस को सुपुर्द किया जाना आवश्यक होगा। अतः मामले के तथ्य व परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध कारित किया जाना प्रतीत होता है, जिसके साक्ष्य संकलन हेतु पुलिस द्वारा विवेचना कराया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। प्रार्थिनी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थिनी– **फैजुन निशा** की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता **स्वीकार** किया जाता है। थानाध्यक्ष थाना–पटहेरवा, जनपद–कुशीनगर को आदेशित किया जाता है कि वे प्रार्थना–पत्र के प्रकाश में सुसंगत धाराओ में मुकदमा 24 घण्टे के अन्दर दर्ज कर, मामले की विवेचना नियमानुसार कराया जाना सुनिश्चित करें। तदनुसार प्रार्थना पत्र निस्तारित।

दिनांक–03.06.2026

(शिरिष पटेल),
(उ०प्र० न्यायिक सेवा)–UP03572
सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट
कसया, जनपद–कुशीनगर।

Digitally signed by SHIRISH PATEL
Date: 2026.06.03 16:43:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court